BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUBAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO:-172 OF 2022

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Jaswinder Singh ....Applicant

VERSUS

State of Uttarakhand ....Respondent

<u>OBJECTION FILED BY PROJECT PROPONENT (ALOK DWIVEDI) AGAINST THE REPORT DATED 24-05-2022 SUBMITTED BY THE JOINT COMMITTEE</u>

<u>(For Index Please See Inside)</u>

PLACE: NEW DELHI **FILED BY:**

DATE: 19-09-2022

AJAY VEER PUNDIR
(ADVOCATE)
Lawyers' Chamber No. 52,
High Court of Uttarakhand at Nainital,
Bar Council Reg. No. U.K. 76/2006
Membership No. A-526;
Contact No. 9719299744;
E-mail address: pundirajayveer@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUBAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO:-172 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Jaswinder Singh ……..Applicant

VERSUS

State of Uttarakhand ……..Respondent

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Objection Filed By Project Proponent (Alok Dwivedi) Against The Report Dated 24-05-2022 Submitted By The Joint Committee	2-11
2.	**Annexure R2**: True copy of reply dated 05-08-2022 submitted by the deponent to the show cause notice.	12-16

PLACE: NEW DELHI **FILED BY:**

DATE: 19-09-2022

AJAY VEER PUNDIR
(ADVOCATE)
Lawyers' Chamber No. 52,
High Court of Uttarakhand at Nainital,
Bar Council Reg. No. U.K. 76/2006
Membership No. A-526;
Contact No. 9719299744;
E-mail address: pundirajayveer@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUBAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO:-172 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Jaswinder Singh ……..Applicant

VERSUS

State of Uttarakhand ……..Respondent

OBJECTION FILED BY PROJECT PROPONENT (ALOK DWIVEDI) AGAINST THE REPORT DATED 24-05-2022 SUBMITTED BY THE JOINT COMMITTEE

I, Alok Dwivedi (Male) aged about 36 years S/o Sh. Chandra Prakash Dwivedi R/o Village and Post Rasulpur Bada, Nalowala, Shyampur, Rasulpur Mithi Beri, District Haridwar, do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

1. That the deponent is the project proponent in matter in question of the aforesaid original application and as such he is fully acquainted with the facts of the case deposed below:
2. That I have read and understood the averments made by the joint committee in its report dated 24-05-2022 and filing this objection/affidavit as follows:

3. That the deponent craves liberty to raise additional submissions or file additional affidavit in case need arises during the course of arguments.

BRIEF SUBMISSIONS

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

4. That as per factual and action taken report the Joint Committee visited the spot i.e. Khasra no.1890 on 24-05-2022, but the Joint Committee never informed the deponent with regard to any inspection of his project site. However, it is relevant to mention here that the project site (i.e. Khasra no.1890[ड]) for which the deponent was given permission under Uttarakhand River Training Policy nowhere shows any illegal mining and the deponent performed his project work upto permitted limit in supervision of Revenue and Irrigation Department teams.

5. That it is relevant to mention here that there is a River namely 'Ravasan' which is flowing adjacent to Village Rasoolpur Mithiberi, Tehsil and District Haridwar. During every rainy season due to overflow of aforesaid river the eminent threat to the lives of local residents arose. Therefore, considering this situation the Government of Uttarakhand for disposal/removal of excessive R.B.M. from the river to ensure safeguard against the loss of life

and properties of local residents and in light of 'Disaster Management Act, 2005' framed the Uttarakhand River Training Policy, 2016. The main object of framing such River Training Policy was to channelize the river to its mainstream, so that it may not resulted into flood and may not cause any harm to the lives and properties of local residents. The report submitted by the Joint Committee nowhere states that the deponent was not given mining lease, rather, the deponent was given work for river training in view of Uttarakhand River Training policy and the work performed by the deponent cannot be said to be mining.

6. That it is relevant to mention here that the work order for removal of RBM was given to the deponent herein with respect to the Khasra no. 1890(ड) which is recorded in the name of Jaswant Singh and others, but due to mistake it was mentioned only as Khasra no.1890. It is submitted that Khasra no.1890 situated in Village Rasoolpur Mithiberi, Tehsil and District Haridwar is a large number which is divided into sub-Khasra nos.1890(क), 1890(ख), 1890(ग), 1890(घ), 1890(च), 1890(छ), 1890(ज), 1890(झ) and 1890(ड). Out of these Khasra numbers only Khasra no.1890(झ) admeasuring 65.0780 hectare is recorded as reserved forest, except this all Khasra nos. 1890(क), 1890(ख), 1890(ग),

1890(घ), 1890(च), 1890(छ), 1890(ज) and 1890(ड) are the private tenure holdings of different people. But the Joint Committee also mentioned in its report that they have visited Khasra no.1890 and did not stated that which sub-khasra of Khasra no.1890 they have visited. It is submitted that the joint inspection by the Joint Committee in absence of deponent cannot be said to be true and correct, as the report submitted by the Joint Committee is not clear. Therefore, the report submitted by the Joint Committee *cannot be read against the deponent.*

7. That the office memorandum dated 13-06-2018 (i.e. the initial work order of deponent) clearly states that as per condition no.7 the removal of R.B.M. was to be carried out by the deponent from the project area in supervision of Revenue and Irrigation department. Further, the project area was handed over to the deponent after demarcation by the concerned department along with revenue department. Therefore, there is no occasion that the deponent could have carried out any illegal mining outside his project area. Further, the work performed by the deponent cannot be said the mining, rather, the same is river channelization in view of Uttarakhand River Training Policy, which is necessary to avoid the flood situation in the close vicinity.

8. That it is relevant to mention here that the deponent deposited a sum of Rs.50,00,000/- with the competent authority, in addition to the sum of Rs.61,68,500/- deposited earlier i.e. total Rs.1,11,68,500/- (One Crore Elevent Lakhs Sixty Eight Thousand and Five Hundred Rupees). Thus, it is evident on the face of record that the deponent paid huge revenue to the State Govt. of Uttarakhand in lieu of river training.

9. That the deponent was permitted to remove/extract R.B.M. from his project area before 02-12-2021 and thereafter on 20-12-2021 the District Magistrate Haridwar (Mr. Vinay Shankar Pandey) filed counter affidavit along with stay vacation application in WPMS No.2512 of 2021 before the Hon'ble High Court of Uttarakhand. In his counter affidavit the District Magistrate Haridwar (Mr. Vinay Shankar Pandey) nowhere stated that the deponent has carried out any illegal mining in his project area and also no action was proposed against the deponent. Moreover, the District Magistrate Haridwar specifically denied the averments made by applicant in his writ petition.

10. That it is also pertinent to mention here that the deponent got information under RTI Act 2005 that from November, 2021 to

January, 2022 the Govt. of Uttarakhand issued mining lease in favour of different people with respect to Khasra nos.1845, 1882, 1885, 1888 and 1889 of Village Rasoolpur Mithi Beri, and the mining lease area of those people is adjacent to Khasra no. 1890(क), 1890(ख), 1890(ग), 1890(घ), 1890(च), 1890(छ), 1890(ज), 1890(झ) and 1890(ड). But the applicant and local Administration Authorities without any proof are stating that deponent had carried out illegal mining in Khasra no.1890, while there is most probability that the project proponents of the mining lease granted in between November, 2021 to January, 2022 have carried out such illegal mining. Further, there is no illegal mining or any excessive removal of RBM from Khasra no.1890(ड), which was the actual project area of the deponent and this fact can be ascertained through physical verification in presence of the deponent herein. But it is surprising that now the District Administration/Joint Committee is saying that the deponent has carried out illegal mining beyond his project area, while the extraction of RBM was done by the deponent in supervision of Revenue and Irrigation Department. Further, assuming without admitting if the deponent has carried out illegal mining beyond his project area, then what action has been taken by the District

Administration against the concerned government employees who were supervising the removal of RBM by the deponent. The District Administration only to implicate the deponent under pressure of applicant giving misleading information before this Hon'ble Tribunal.

11. That it is matter of record that the deponent, his employees or any vehicle related to the deponent has never been caught doing illegal mining and this fact has also been mentioned by the Joint Committee in its report that they do not observed any mining activity at the time of inspection. Further, the project area of deponent i.e. Khasra no.1890 (ड) is still in normal position and the deponent removed RBM from the project area upto the limit for which he was given permission and this fact can be verified from the revenue records by physical verification in presence of deponent herein. But the Authorities concerned have never conducted any spot inspection with regard to illegal mining in presence of deponent, so that actual physical position of the project site may be point out.

12. That on one hand the District Magistrate issued show cause notices on 01-12-2021 for penalty of Rs.21,56,000 and show

cause notice dated 01-12-2021 for penalty of Rs.17,00,160 (total Rs.38,56,160) against the deponent and others, but thereafter on 20-12-2021 the District Magistrate Haridwar (Mr. Vinay Shankar Pandey) filed counter affidavit along with stay vacation application in WPMS No.2512 of 2021 before the Hon'ble High Court of Uttarakhand, wherein the District Magistrate Haridwar (Mr. Vinay Shankar Pandey) nowhere stated that the deponent has carried out any illegal mining in his project area and also no action was proposed against the deponent. The Joint Committee also did not apprise this Hon'ble Tribunal that the aforesaid show cause notices were not issued only to the deponent, rather, the same were also issued to some farmers. It is submitted that pursuant to the show cause notices, the deponent has filed his detailed reply enclosing therewith all evidence before the Additional District Magistrate (Finance & Revenue) Haridwar on 05-08-2022 and specifically denied the allegation of illegal mining. True copy of reply dated 05-08-2022 submitted by the deponent to the show cause notice is marked and annexed as **Annexure R1**.

13. That in regard to the forest crime case filed by the Forest Division Haridwar it is submitted that till date the deponent has not

received any notice/summon from the court of Ld. Chief Judicial Magistrate Haridwar and whenever the deponent will receive the summon, then he will contest the same. It is submitted that merely filing of forest crime case against the deponent did not plead him guilty of any offence.

14. That it is submitted that the Joint Committee did not inspect Khasra no.1890(ड), infact, the deponent is not aware that which Khasra number the Joint Committee has inspected and upon which basis the report has been submitted before this Hon'ble Tribunal. The District Administration only under pressure of applicant (Jaswinder Singh) submitted the misleading report, which cannot be read against the deponent.

In view of the above submissions, it is established on the face of record that the deponent has not caused any loss to the Environment, rather, the deponent has performed his work in view of Uttarakhand River Training Policy which is necessary for channelization of rivers and the same cannot be treated as illegal mining. Therefore, the present original application is liable to be rejected with cost.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on this **18th** day of September, 2022. That the contents of the above reply affidavit/written statement are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

THROUGH:

PLACE: NEW DELHI
DATE:- -09-2022

(AJAY VEER PUNDIR)
(Advocate)

ATTESTED
PRABHAT TYAGI
ADVOCATE
Term Expire on 18-6-2026
NOTARY GOVT. OF INDIA
HARIDWAR

NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

न्यायालय/कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एंव राजस्व) हरिद्वार।

मूलवाद संख्या– 335/2021

सरकार बनाम आलोक द्विवेदी आदि

महोदय,

प्रार्थी निम्नलिखित आपत्ति प्रस्तुत करता हैः–

1. यह कि सर्वप्रथम उक्त वाद में आप महोदय द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक 25.05.2022 माह जून, 2022 के द्वितीय सप्ताह में तहसील हरिद्वार के एक कार्मिक द्वारा प्रार्थी को हस्तगत कराया गया। उक्त नोटिस प्राप्ति के उपरान्त प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के विरूद्ध एक मूलवाद सं0–335/2021, सरकार बनाम आलोक द्विवेदी आदि, अवैध खनन, परिवहन एंव भण्डारण का निवारण नियमावली, 2021 के अन्तर्गत आप महोदय के न्यायालय/कार्यालय में पंजीकृत किया गया है, जिसमें सुनवाई हेतु तिथि 24.06.2022 नियत की गई थी।
2. यह कि नियत तिथि अर्थात् 24.06.2022 को प्रार्थी द्वारा आप महोदय के समक्ष उपस्थित होकर निदेवन किया गया कि प्रार्थी को उन समस्त दस्तावेजों अर्थात् शिकायत पत्र अथवा जांच आख्या इत्यादि की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त मूलवाद अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में आप महोदय के न्यायालय/कार्यालय में पंजीकृत किया गया है, जिससे कि प्रार्थी विस्तृत लिखित उत्तर के माध्यम से आप महोदय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें।
3. यह कि दिनांक 24.06.2022 प्रार्थी को आप महोदय के कार्यालय/न्यायालय द्वारा संयुक्त आख्याऐं दिनांक 23.11.2021 एंव सुपुदर्गीनामा दिनांक 23.11.2021 इत्यादि उपलब्ध कराये गये और अग्रिम कार्यवाही/सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2022 नियत की गई। उपरोक्त उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों को प्रार्थी द्वारा भली–भांति पढ एंव समक्ष लेने के उपरान्त निम्नलिखित आपत्ति प्रस्तुत करता हैः–
4. यह कि महोदय सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन न किया गया और न ही कराया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष वर्षा ॠतु में नदी–नालों में जमा आर0बी0एम0 से बाढ की स्थिति उत्पन्न होने से बचने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा रिवर ट्रेनिंग नीति बनाई गई है जो कि उक्त नीति आर0बी0एम0 को हटाकर नदी के मध्य क्षेत्रों को केन्द्रित करने के लिए चैनेलाईजेशन के उद्देश्य से बनाई गई है। उपरोक्त मूलवाद संख्या–335/2021 प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत अथवा जांच आख्या के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें कोई सच्चाई किसी प्रकार की नहीं है।
5. यह कि महोदय अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 14.10.2021 को एक शासनादेश संख्या–1702/VII-A-1/2021–90(ख)/ 2016 टी.सी.–III जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्गत किया गया एंव अवगत कराया गया कि *''रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में जनपद हरिद्वार की तहसील हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–1890 क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में 8000 घनमीटर भूमि से अवशेष आर.बी.एम./मलवा निस्तारण किये जाने हेतु 02 माह की अवधि अथवा अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अनुमति विषम परिस्थिति में प्रदान की गयी थी।* **शासनादेश संख्या–1702/VII-A-1/2021–90(ख)/ 2016 टी.सी.–III दिनांक 14.10.2021 की प्रतिलिपि संलग्नक–1 है।**

6. यह कि उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा दिनांक 25.10.2021 को एक कार्यालय ज्ञाप सं0–2019/खनन सहा0 (नीलामी)–2021 निर्गत कर ''रिवर ट्रेनिंग नीति के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में जनपद हरिद्वार की तहसील हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–1890 क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में 8000 घनमीटर में अवशेष 6402.16 घनमीटर आर.बी.एम./मलवा निस्तारण किये जाने हेतु 02 माह की अवधि अथवा अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, हेतु प्रार्थी के पक्ष में कार्यादेश जारी किया गया। महोदय यहां यह उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.10.2021 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''***सहायक भू–वैज्ञानिक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या संख्या–380/भू0खनि0 ई0–हरिद्वार दिनांक 25.10.2021 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नगत स्थल खसरा संख्या–1890 कुल रकबा 200 x 40 =8000 वर्गमी0 की राजस्व विभाग एंव खनन विभाग के द्वारा संयुक्त सीमांकन/पिलरबन्दी की कार्यवाही कर ली गई है।''*** साथ ही कार्यालय ज्ञाप की शर्त सं0–7 में यह भी स्पष्टतः अंकित किया गया है कि ***''नीलामी प्राप्तकर्ता राजस्व एंव सिंचाई विभाग की निगरानी में उपखनिज की निकासी का कार्य करेगा।''*** **जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा दिनांक 25.10.2021 निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–2019/खनन सहा0 (नीलामी)–2021 की प्रतिलिपि संलग्नक–2 है।**
7. यह कि इसके उपरान्त अपर निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 28.10.2021 को एक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2736/खनन/भू0 खनि0ई0/पोर्टल/2021–22 निर्गत किया गया जिसमें कार्य की अवधि दिनांक 28.10.2021 से 27.12.2021 तक अंकित की गई है। **कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2736/खनन/भू0 खनि0ई0/पोर्टल/2021–22 दिनांक 28.10.2021 की प्रतिलिपि संलग्नक–3 है।**
8. यह कि तदोपरान्त कार्यादेश दिनांक 25.10.2021 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एंव विभाग द्वारा कार्यस्थल की पीलरबन्दी किये जाने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राजस्व एंव सिंचाई विभाग की निगरानी में खसरा संख्या–1890 क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवशेष 6402.16 घनमीटर आर.बी.एम./मलवा निस्तारण/निकासी का ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी क्षेत्रान्तर्गत आरम्भ किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यादेश के सापेक्ष निकासी का लगभग 85% कार्य पूर्ण कर लिया गया था और कुल मुबलिग 1,11,68,500/–रूपये नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिये गये थे। परन्तु कार्य प्रारम्भ करने के कुछ समय उपरान्त ही विभाग द्वारा प्रार्थी को मौखिक तौर पर कार्य करने से मौके पर रोक दिया गया। तदोपरान्त एक व्यक्ति जसविन्दर सिंह पुत्र श्री लक्खा सिंह निवासी ग्राम समसपुर कटेवड, पो0 लालढांग, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष एक याचिका सं0–2512 सन् 2021, जसविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य योजित की गई। उक्त याचिका की सुनवाई करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.12.2021 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निर्गत कार्यादेश के प्रभाव को स्थगित कर दिया गया। **माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका सं0–2512 सन् 2021, जसविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 की प्रतिलिपि संलग्नक–4 है।**
9. यह कि उक्त याचिका में जसविन्दर सिंह ने जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रतिवादी सं0–3 बनाया गया था। उपरोक्त याचिका में दिनांक 20.12.2021 को नोटरी से सत्यापित कराकर

श्रीमान विनय शंकर पाण्डेय, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा अपना प्रतिशपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष स्टे वैकेशन प्रार्थना पत्र के साथ योजित किया गया। महोदय यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान विनय शंकर पाण्डेय, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार उक्त याचिका में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया और न ही किसी तथाकथित संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 23.11.2021 का उल्लेख किया गया है। अपितु श्रीमान विनय शंकर पाण्डेय, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा प्रार्थी के पक्ष को अपने प्रतिशपथ पत्र में समर्थित कर जसविन्दर सिंह द्वारा योजित याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष की गई। **श्रीमान विनय शंकर पाण्डेय, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा याचिका सं0–2512 सन् 2021 जसविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य में योजित प्रतिशपथ पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक–5 है।**

10. यह कि इसके उपरान्त उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष दिनांक 07.04.2022 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई, जिस पर सुनवाई करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उक्त याचिका को निस्तारित कर दिया गया। **माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका सं0–2512 सन् 2021, जसविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 की प्रतिलिपि संलग्नक–6 है।**
11. यह कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्टतः परिलक्षित है कि प्रार्थी द्वारा उसके पक्ष में निर्गत कार्यादेश की किसी भी शर्त का किसी प्रकार कोई उल्लंघन नहीं किया गया और पीलरबन्दी होने के उपरान्त मात्र कार्यस्थल के अन्तर्गत खसरा सं0–1890 से ही आर0बी0एम0 / मलवा का निस्तारण नियमानुसार राजस्व एंव सिंचाई विभाग की निगरानी में किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्ध अवैध खनन किये जाने का आरोप न कि निराधार अपितु यह राजस्व एंव सिंचाई विभाग के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध भी एक निराधार आरोप है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.10.2021 की शर्त सं0–7 के अनुपालन में राजस्व एंव सिंचाई विभाग की निगरानी में उपखनिज की निकासी का कार्य किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन न किया गया और न ही कराया गया
12. यह कि महोदय प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि निराधार शिकायतों के आधार पर एंव बिना किसी सबूत के प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान मुकदमा अवैध खनन, परिवहन एंव भण्डारण का निवारण के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया है, जो कि वर्तमान प्रकरण उक्त झूठी शिकायतों का एक उदाहरण है।
13. यह कि उक्त संयुक्त आख्याऐं दिनांक 23.11.2021 एंव सुपुदर्गीनामा दिनांक 23.11.2021 प्राप्त होने के उपरान्त एंव उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्याओं के अवलोकन के उपरान्त प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी के विरूद्ध यह आरोप है कि प्रार्थी द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में एक संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर उत्तर दिशा में लगभग 300 मी0 नदी के अपस्ट्रीम में खसरा सं0 1875 के कास्तकार चरत सिंह, जगराम सिंह, महावीर, बलवीर व राजवीर सिंह पुत्रगण रामप्रसाद निवासीगण ग्राम डन्डियानवाला, रसूलपुर मीठीबेरी की निजी नाम भू–भागों में अवैध खनन किया गया पाया गया है एंव जिसकी पैमाईश 70X35X2 = 4900 घ0मी0 एंव 30X35X2 = 2100 घ0मी0 कुल 7000 घ0मी0 आंकलित की गई है

और जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी/अनुज्ञाधारक एंव सम्बन्धित काश्तकारों पर मु0–21,56,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है।

महोदय अन्य संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किया गया पाया गया है एंव जिसकी पैमाईश 40X25X1.5 = 1500 घ0मी0; 40X35X1.5 = 2100 घ0मी0 एंव 30X35X2 = 1920 घ0मी0 कुल 5520 घ0मी0 आंकलित की गई है और जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी/अनुज्ञाधारक के विरू मु0–17,00,160/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि उक्त के अतिरिक्त तथाकथित अवैध खनन परिवहन के 06 डम्पर एंव 01 जे0सी0बी0 पकडे जाने दर्शित किये गये है, जिनाक सुपुदर्गीनामा तैयार किया गया।

14. यह कि महोदय यहां उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.10.2021 की शर्त सं0–7 के अनुपालन में राजस्व एंव सिंचाई विभाग की निगरानी में उपखनिज की निकासी का कार्य किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन न किया गया और न ही कराया गया और नियमानुसार रायल्टी राजकोष में निस्तारित आर0बी0एम0 की एवज में जमा की जा चुकी है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्याओं में दर्शित खसरा नम्बर में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन अथवा अवैध खनन नहीं किया गया है, अपितु प्रार्थी द्वारा राजस्व एंव सिंचाई विभाग की निगरानी में पीलरबन्दी किये गये कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आर0बी0एम0 निकासी का कार्य रिवर ट्रेनिंग नीति के अनुरूप किया गया है।

15. यह कि महोदय यह भी अवगत कराना है कि सुपुदर्गीनामा में वर्णित किसी भी वाहन से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह साबित हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन नहीं किया गया है, अपितु संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या बिना किसी आधार के एंव बिना किसी सबूत के मात्र निराधार आरोप पर आधारित करते हुए प्रस्तुत कर दी गई है एंव वर्तमान वाद उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है एंव प्रार्थी के विरूद्ध निर्गत नोटिस को वापस लिया जाना आवश्यक है।

16. यह कि महोदय अवगत कराना है कि यदि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किया जाता तो श्रीमान विनय शंकर पाण्डेय, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा याचिका सं0–2512 सन् 2021 जसविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य में योजित प्रतिशपथ पत्र में इसका उल्लेख अवश्यक किया जाता, परन्तु श्रीमान विनय शंकर पाण्डेय, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार प्रार्थी के पक्ष को अपने प्रतिशपथ पत्र में समर्थित किया गया है, जिस कारण प्रथम दृष्टया यह अभिलेख के आधार पर साबित हो जाता है कि प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान वाद की कार्यवाही निराधार शिकायतों एंव बिना किसी सबूत के योजित की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

17. यह कि महोदय यह भी अवगत कराना है कि यदि प्रार्थी के कार्यस्थल अर्थात ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–1890 की पैमाईश संयुक्त टीम द्वारा की जाती तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं किया गया है, अपितु प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अनुमानित स्तर तक निकासी का कार्य किया गया है, जो कि रिवर ट्रेनिंग नीति के अनुसार एंव नदी के चैनेलाईजेशन हेतु अति आवश्यक है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त वाद में निर्गत नोटिस को वापस लेकर मूलवाद सं0–335 / 2021, सरकार बनाम आलोक द्विवेदी आदि की कार्यवाही प्रार्थी के सम्बन्ध में निरस्त करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः–05.08.2022

प्रार्थी

आलोक द्विवेदी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश द्विवेदी
निवासी ग्राम व पोस्ट रसूलपुर बडा
नलोवाला, तहसील व जिला हरिद्वार।

<u>संलग्नकः–उक्तवत्।</u>

//True Copy//